



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दो अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-07.04.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा चोरी/नकबजनी के अपराध में लिप्त दो अभियुक्तगण 1.लल्लन तिवारी पुत्र रामानन्द निवासी ग्राम अधनापुर थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर 2.वीरेन्द्र शुक्ला पुत्र देवी प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम कोटवा थाना मोहम्मदपुर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण शातिर चोर/नकबजन हैं, जिनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना रामपुर मथुरा पर मु0अ0सं0 118/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त वीरेन्द्र वर्तमान समय में कारागार में निरूद्ध है। अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. लल्लन तिवारी पुत्र रामानन्द निवासी ग्राम अधनापुर थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर
2. वीरेन्द्र शुक्ला पुत्र देवी प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम कोटवा थाना मोहम्मदपुर जनपद बाराबंकी

आपराधिक इतिहास का विवरण

अभियुक्त लल्लन तिवारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 159/16 धारा 457/380/411 भा.द.वि थाना रामपुर मथुरा सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 179/17 धारा 413/467/468/471/420 भा.द.वि थाना रामपुर मथुरा सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 118/21 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना रामपुर मथुरा सीतापुर।

अभियुक्त वीरेन्द्र शुक्ला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 159/16 धारा 457/380/411 भा.द.वि थाना रामपुर मथुरा सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 179/17 धारा 413/467/468/471/420 भा.द.वि थाना रामपुर मथुरा सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 118/21 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना रामपुर मथुरा सीतापुर।